

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी
5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
6. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र- 11-306/2014-एफ0सी0(pt.), दिनांक- 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुपालनार्थ अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी, वन्यजीव संरक्षण योजना, बौने औषधीय पौधों के वृक्षारोपण हेतु एवं अन्य मद में जमा होने वाली धनराशि कैम्पा में जमा किये जाने के उपरान्त एवं गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन के मामलों में गैर वन भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तावित वृक्षों का पातन एवं कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)  
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0 प्र0।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद, उ0 प्र0।
5. परियोजना प्रबंधक, उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, सेतु निर्माण ईकाई, इलाहाबाद, उ0 प्र0।
6. वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली

(के0 के0 तिवारी)  
वन संरक्षक {केन्द्रीय}



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeefolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/46/2018/एफ.सी/107

(FP/UP/Road/30577/2017)

दिनांक: 11.05.2018

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),  
उत्तर प्रदेश शासन,  
बापू भवन, लखनऊ।

**विषय:** अर्द्ध कुम्भ मेला 2019 हेतु जनपद इलाहाबाद में लाऊदर रोड पर रामबाग रेलवे स्टेशन के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद वाराणसी व फाफामऊ-इलाहाबाद रेल खण्ड पर स्थित संपार संख्या-टी/1बी के 2 लेन उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु बिना वृक्ष पातन के प्रभावित 0.0512 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

**सन्दर्भ:** विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-35/14-2-2018-800(33)/2018 दिनांक- 19.04.2018 महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार अर्द्ध कुम्भ मेला 2019 हेतु जनपद इलाहाबाद में लाऊदर रोड पर रामबाग रेलवे स्टेशन के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद वाराणसी व फाफामऊ-इलाहाबाद रेल खण्ड पर स्थित संपार संख्या-टी/1बी के 2 लेन उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु बिना वृक्ष पातन के प्रभावित 0.0512 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।  
(ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि एवं एन०पी०वी० की धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।  
(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।